न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 36/2018/अपील

1. सोनी देवी पत्नी स्व0 भंवरलाल
2. सांवरमल पुत्र भंवरलाल
3. सीताराम पुत्र भंवरलाल
4. देवीलाल पुत्र रतनाराम
5. छिगनलाल पुत्र रतनाराम
6. श्रवणलाल पुत्र रतनाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण लाम्बानगर तन रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बेगाराम पुत्र लादूराम
2. गोपाल पुत्र लादूराम
3. छोटूराम पुत्र लादूराम
4. जानकी पत्नी स्व0 लादूराम

समस्त जाति जाट समस्त निवासीगण लाम्बानगर तन रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

5. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
6. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध बंटवारानामा दिनांक 14.06.2016 द्वारा तस्दीक तहसीलदार दांतारामगढ़ (सीकर)

वकील अपीलांट श्री ~~ईस्लामुदीन गौरी~~ घनश्याम गढाला एड0
वकील रेस्पोडेंट ~~श्री छोटूराम~~ सतबीर सिंह एड0

निर्णय **दिनांकः— 21.06.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 2.49 है0 किस्म चाही चतुर्थ व बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 47/921 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 48 रकबा 2.35 है0 किस्म चाही चतुर्थ व बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.01 है0 किस्म गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 50 रकबा 5.76 है0 किस्म बारानी तृतीय व चाही चतुर्थ, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.47 है0 किस्म बारानी तृतीय राजस्व ग्राम लाम्बा नगर पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ़ की तन में अवस्थित है। उपरोक्त कृषि आराजियात में 1/2 हक हिस्सा, कब्जा काश्त एवं खातेदारी अपीलांट्स की एवं 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खातेदारी रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 4 का है। उक्त भूमियां

अपीलांट्स एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त राजस्व रिकार्ड की अविभाजित भूमियां थी, जिनका मौके पर अपीलांट्स एवं रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के मध्य 1/2–1/2 हक हिस्से के अनुसार पक्का सींव नींव कायम कर अपने अपने हक हिस्से के अनुपात में काश्त कर अपने उपयोग तथा उपभोग में लेते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमियों का रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 14.06.2016 को रेस्पो. संख्या 5 से गलत बंटवारानामा तैयार करवाकर तस्दीक करवा लिया। उक्त बंटवारानामा राजस्व रिकार्ड में अंकित अपीलांट्स के हक हिस्से के विपरित तैयार कर तस्दीक किया गया है। बंटवारानामा अपीलांट्स को धोखे में रखकर बिना तहसीलदार दांतारामगढ़ के समक्ष उपस्थित किये ही करवाया गया है। चुनौतिग्रस्त बंटवारानामा तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौके बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गई एवं उक्त भूमियां रहन दर्ज होने के बावजूद सम्बंधित बैंक को बिना सुनवाई का अवसर दिये बंटवारानामा तस्दीक किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं बंटवारा नियम 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की बिना पालना किये ही बंटवारानामा तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स एवं रेस्पो. के 1/2–1/2 हिस्से के अनुपात में 5.545 – 5.545 है0 भूमि बंटवारे में मिलनी चाहिए थी किन्तु अपीलांट्स को मात्र 4.94 है0 भूमि ही बंटवारे में दी गई है, तथा रेस्पो. को 6.15 है0 भूमि बंटवारे में दी गई है, जो उनके हिस्से के अनुपात में 0.605 है0 भूमि अधिक दे दी गयी, इसलिए चुनौतिग्रस्त बंटवारानामा निरस्तनीय है। रेस्पो. चुनौतिग्रस्त बंटवारानामा दिनांक 14.06.2016 में प्रभावित पक्षकार है क्योंकि रेस्पो. संख्या 5 ने विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलांट्स को 0.605 है0 भूमि कर दिये जाने का सरासर गलत आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर चुनौतिगस्त बंटवारानामा के सम्बंध में रेस्पो. संख्या 5 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.06.2016 को निरस्त किया जाकर अपीलांट्स व रेस्पो. संख्या 1 लागयत 4 को 1/2–1/2 अर्थात 5.545 – 5.545 है0 भूमि बंटवारे में दिये जाने बाबत नये सिरे से बंटवारा प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। बंटवारानामा दिनांक 14.06.2016 के मुताबिक अपीलांट्स को आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 2.49 है0, खसरा नम्बर 47/921 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 48 रकबा 2.35 है0, खसरा नम्बर 51/2 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.94 है0 भूमि सोनीदेवी बेवा भंवरलाल सागरमल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/6 राहिन सीताराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/12 राज. ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास मूर्तहीन राहिन देवीलाल छीगनलाल श्रवणलाल पि. रतना हि.ब.हि. 3/4 बडौदा राज. क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास मूर्तहीन सा.देह बंटवारे में दी गई एवं रेस्पो. को आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 5.76 है0, खसरा नम्बर 51/1 रकबा 0.38 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.15 है0 भूमि ज्यानकी बेवा लादू छोटूराम पुत्र लादू हि.ब.हि. 1/2 राहिन बेगाराम गोपालराम पि. लादू हि.ब.हि. 1/2 रा.ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास मूर्तहीन सा.देह बंटवारे मे दी गई है। बंटवारानामा ओदश दिनांक 14.06.2016 के आधार पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 21.06.2016 तस्दीक कर दिया। राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 के तहत तहसीलदार को मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के मुताबिक अपीलांट्स एवं रेस्पो. का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। बंटवारानामा में सम्पूर्ण आराजियात कुल रकबा 11.09 है0 में से अपीलांट्स को 4.94 है0 भूमि व रेस्पो. को 6.15 है0 भूमि बंटवारे में दी गई है। अपीलांट्स व रेस्पो. का सम्पूर्ण आराजियात

से 1/2–1/2 हिस्सा होने के उपरांत बंटवारानामा में अपीलांट्स को 1/2 हिस्से के अनुपात में कम हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तस्दीक बंटवारानामा दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में धारा 53(1) के तहत पक्षकारान सहमत होने पर नियमानुसार बंटवारा किया जावे, अन्यथा पक्षकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर